

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकर,  
दीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15 दिनांक-31.03.2015

विषय- भारत की जनगणना 2011 के कार्य हेतु पूर्व के वित्तीय वर्षों में आवंटित राशि की कतिपय जिलों द्वारा निकासी नहीं किए जाने के फलस्वरूप जिलों द्वारा मानदेय मद में अधियाचित बकाया राशि 5,42,214/= (पाँच लाख बेयालीस हजार दो सौ चौदह) रुपये की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश - स्वीकृत।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार होंगे।
3. भारत के महारजिस्ट्रार-सह-जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा महालेखाकर, बिहार के पास "आन एडवांस अकाउंट" के आधार पर राशि जमा की गई है।
4. जिलों से प्राप्त अधियाचित राशि के अनुसार पुनः विनियोग के द्वारा निम्न जिलों को राशि उपलब्ध की गयी है।

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	गोपालगंज	5,25,214.00	650/02.12.2014
2	जहानाबाद	17,000.00	644/02.12.2014
		कुल राशि-	5,42,214.00

(पाँच लाख बेयालीस हजार दो सौ चौदह)


5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट शीर्ष 3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी-01 जनगणना-101 जनगणना आँकड़ों का कम्प्यूटरीकरण-0002 जनगणना स्थापना, 2011, माँग संख्या-40 विपत्र कोड-N3454011010002 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ0पृ0उ0

6. मानदेय की राशि प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देश एवं स्वीकृत दर के अधीन रखी जाएगी।

7 इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमती प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 199 (4)

/रा0, पटना-15, दिनांक- 31.03.2015

प्रतिलिपि :-वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी जहानाबाद तथा गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी गोपालगंज तथा जहानाबाद/निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, द्वितीय तल, बिहार कॉर्पोरेट बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना/विभागीय बजट शाखा (5) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।